**संख्या- 65 /2025/ 460 /चार-2025-1893379**

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

**संस्कृति अनुभाग**: **लखनऊः दिनांकः 14 फरवरी, 2025**

विषयः- सनातन गर्व महाकुम्भ पर्व के अवसर पर महाकुम्भ प्रयागराज-2025 में भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान द्वारा कराये जा रहे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5114/सं0नि0-15(UPSNA)/2024-25 दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या- 3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 में कलाकारों के मानदेय व मार्गव्यय हेतु रू0 750.00 लाख की प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में महाकुम्भ प्रयागराज-2025 में भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान द्वारा कराये जा रहे निम्नानुसार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है:-

| क्र.सं. | संस्था का नाम | कार्य | कुल धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | उ०प्र० संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ | अकादमी द्वारा शास्त्रीय / उपशास्त्रीय गायन /वादन / नृत्य /नृत्य नाटिकायें / भजन के पद्म पुरस्कार/ अकादमी पुरस्कार/अन्य पुरस्कारों/ टाप ग्रेड तथा ए ग्रेड, बी हाई, बी एवं अन्य नान ग्रेडेड कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय | 1,62,73,000.00 |
| 2. | उ०प्र० लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ | लोक कलाकारों का मानदेय, लोक वाद्ययंत्रों की प्रदर्शनी व प्रस्तुतिकरण एवं किराये पर व्यय | 1,80,01,000.00 |
| 3. | भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ | नाट्य प्रस्तुति के मंच, नाट्य प्रस्तुति के सेट, लोक गायन, भजन गायन के कलाकारों का मानदेय, यात्रा पर व्यय एवं विविध आकस्मिक व्यय | 1,56,52,000.00 |
| योग | | | 3,37,26,000.00 |

2. उपर्युक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या- 3439/चार-2024-1823487 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के बिन्दु संख्या-16 में मेला क्षेत्र के अन्तर्गत तीन मंचों यथा- झूसी, अरैल एवं नागवसुकी क्षेत्र में मंचों पर प्रस्तुति करने वाले कलाकारों के मानदेय व मार्गव्यय हेतु निर्गत रू0 750.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के अवसर पर भारतेन्दु नाट्य अकादमी, उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी एवं उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान द्वारा कराये जा रहे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय व अन्य व्यवस्थाओं पर निर्धारित मानक की दरों एवं शर्तों पर धनराशि रू0 337.26 लाख (रूपये तीन करोड़ सैंतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

3. शर्तें/प्रतिबन्धः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं आवागमन भत्ता का भुगतान संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या - 65 /2025 / 460(1)/चार-2025-1893379 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ/ उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ/ उ0प्र0 लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in